अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मंजू बनाम खुशबु वगैरह

किस्म मुकदमा –225 राज.काश्तकारी अधिनियम–1955

प्रकरण संख्या : 2024 / 237 (रूपनगढ)

प्रि०आ०स्
15/10/24

श्री अरमान खान एडवोकेट

मंजू बनाम खुशबू वगैरह (2024 / 237)

15.10.2024 यह अपील श्री अरमान खान एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 110 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की है। अपील को दर्ज रजिस्टर किया जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने वहस प्रार्थना पत्र स्थगन में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से के प्रार्थना पत्र पर राजस्व अभिलेख की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया है जिससे अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी पर अनावश्यक हस्तक्षेप करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना स्थगित नहीं की गई तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 की पालना व प्रभाव को स्थगित रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 की प्रति, अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा दिनांक 27.08.2024 को पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की है।मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में आदेश दिनांक 27.08.2024 की पालना ताफैसला स्थगित रखे जाने बाबत निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2024 को पारित आदेश एक अंतरिम आदेश होकर अंतिम आदेश नहीं है। यदि अन्तरिम आदेश दिनांक 27.08.2024 की पालना प्रभाव को स्थगित किया जाता है तो विवादित आराजी के खुर्द–बुर्द होने की संभावना बनी रहती है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में आगामी तारिख पेशी दिनांक 09.10.2024 नियत की गई थी, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत किया है और ना ही स्थगन आदेश के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार..

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अज.

मंजू बनाम खुशबु वगैरह

किस्म मुकदमा –225 राज.काश्तकारी अधिनियम–1955

प्रकरण संख्या : 2024/237 (रूपनगढ)

लगातार.----- उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner